

दूरभाष : 23238542, 23236740
Telephone : 23238542, 23236740
तार : डेनकोसिंड
Telegram : "DENCONCIND"
फैक्स : 0091-011-23231252
Fax : 0091-011-23231252
E-mail ई-मेल : secretary@dcindia.org
Website : www.dciindia.org



ऐवान-ए-गालिब-मार्ग
कोटला रोड, नई दिल्ली - 110 002
Aiwan-E-Galib Marg, Kotla Road,
New Delhi - 110 002

भारतीय दन्त परिषद
DENTAL COUNCIL OF INDIA
(CONSTITUTED UNDER THE DENTISTS ACT 1948)

No. DE-130-2011/ B-2211

Dated the 26 August, 2011

To

1. The Secretaries of Medical Education Departments of all State/UTs
2. The Directors of Medical Education Departments of all States/UTs
3. The Registrars of all Universities to which Dental Colleges are affiliated
4. The Principals of all Dental Colleges in the country

Sub: Implementation of DCI Revised BDS Course (3rd Amendment) Regulations, 2011 – Regarding.

Sir,

I am directed to enclose a copy of DCI Revised BDS Course (3rd Amendment) Regulations, 2011 published in Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section-4 dated 25.8.2011, for your kind perusal/information and necessary action in the matter.

2. Kindly acknowledge the receipt of this letter immediately.

Yours faithfully,

(Col. (Retd.) Dr. S.K. Ojha)
Officiating Secretary
Dental Council of India

Encl: As above

Copy to:-

The Secretary to the Govt. of India, Ministry of Health & Family Welfare, (Deptt. of Health) –DE Section, Maulana Azad Road, Nirman Bhawan, New Delhi-110011 – for kind information w.r.t their letter No.V.12012/3/2006-DE dated 24.8.2011, alongwith a copy of DCI Revised BDS Course (3rd Amendment) Regulations, 2011 published in Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section 4 dated 25.8.2011.

(Col. (Retd.) Dr. S.K. Ojha)
Officiating Secretary
Dental Council of India

CC:-

The President, Dental Council of India, New Delhi



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 176]

No. 176]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, अगस्त 25, 2011/भाद्र 3, 1933

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 25, 2011/BHADRA 3, 1933

भारतीय दन्त परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2011

सं. डी ई-130-2011.—दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 के खंड 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दन्तचिकित्सक अधिनियम, 1948 के खंड-20 के उप खंड (घ) तथा (न) में यथानिर्धारित राज्य सरकारों के साथ परामर्श करने के बाद तथा केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से भारतीय दन्त परिषद् भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-III, खंड-4 में दिनांक 10 सितम्बर, 2007 को प्रकाशित मौजूदा संशोधित बीडीएस पाठ्यक्रम विनियम, 2007 में एतद्द्वारा निम्न संशोधन करती है:—

1. लघु शीर्ष तथा प्रवर्तन

(i) ये विनियम भारतीय दन्त परिषद् संशोधित बीडीएस पाठ्यक्रम (तिसरा संशोधन) विनियम, 2011 कहलाएंगे।

(ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

लेकिन शर्त यह है कि संबन्धन प्रदान करने वाले विश्वविद्यालयों/राज्य सरकारों को ये संशोधन ऐसे छात्रों पर भी लागू करने की छूट है जो शैक्षणिक सत्र 2011-12 के बाद बीडीएस पाठ्यक्रम के चौथे वर्ष की पढाई करेंगे। विश्वविद्यालय इस संशोधन को कार्यान्वित कर सकते हैं बशर्ते कि अपने अधिनियम/नियमों और विनियमों का पालन करते हों।

2. मौजूदा संशोधित बीडीएस पाठ्यक्रम विनियम 2007 निम्न निर्दिष्ट सीमा तक प्रतिस्थापित किए जाएं:—

(i) पाठ्यक्रम की अवधि

मौजूदा प्रावधान निम्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए:—

बीडीएस डिग्री प्रदान कराने वाला अवरस्नातक दन्त्य कार्यक्रम 4 (चार) शैक्षणिक वर्षों का होगा। प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में 240 शिक्षण दिवस होंगे जिसके अलावा किसी दन्त्य कालेज में बारी-बारी से एक वर्ष का सवेतन स्थानबद्ध प्रशिक्षण होगा। बीडीएस अंतिम परीक्षा पास करने के बाद प्रत्येक अभ्यर्थी को किसी दन्त्य कालेज में बारी-बारी से एक वर्ष का सवेतन स्थानबद्ध प्रशिक्षण पूरा करना होगा। दन्त्य स्थानबद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम का विस्तृत पाठ्यक्रम अनुलग्नक 'ए' पर दिया गया है।

स्थानबद्ध प्रशिक्षण अनिवार्य होगा और बीडीएस की डिग्री एक वर्ष का सवेतन स्थानबद्ध प्रशिक्षण पूरा कर लेने के बाद प्रदान की जाएगी।

टिप्पणी: डीसीआई द्वारा यह सिफारिश की गई है कि जिन कालेजों ने संशोधित बीडीएस पाठ्यक्रम विनियम 2007, 2007 में डी कार्यान्वित किया है, उन्हें मौजूदा पांच वर्षीय कार्यक्रम जारी रखना है। जहां तक इस बीच के लिए स्थानबद्ध प्रशिक्षण का सवाल है, इसके बारे में संबंधित विश्वविद्यालय निर्णय लेगा।

इसके अलावा वर्ष 2008-09 से किए गए दाखिले के संबंध में छात्रों को इस संशोधन में शामिल कर लिया जाए बशर्ते कि संबंधित विश्वविद्यालय के नियम इसकी अनुमति देते हों।

(ii) परीक्षाएं

3 वर्ष (2007) तक के पाठ्यक्रम विकिरण में कोई बदलाव नहीं है।

मौजूदा विनियम, 2007 के पृष्ठ 4 पर निम्न प्रतिस्थापित किया जाएगा—

यदि कोई अभ्यर्थी किसी परीक्षा में किसी एक विषय में फेल हो जाता है, उसे अगली उच्चतर कक्षा में जाने की अनुमति दी जाती है और वह उस विषय, जिसमें वह फेल हुआ है की परीक्षा में बैठता है तथा अगली उच्चतर परीक्षा में बैठने से पहले उसे सफलतापूर्वक पूरा कर लेता है। तथापि भारतीय दन्त परिषद को कोई आपत्ति नहीं होगी यदि संबंधित विश्वविद्यालय अपनी/अपने संविधि/विनियमों में उपबंधित परीक्षा स्कीम का पालन करता हो।

पूर्ण-नैदानिक प्रोस्थोडेंटिक्स विषय की कम संख्या 5 के बाद निम्न जोड़ा जाएगा—

यदि कोई अभ्यर्थी किसी परीक्षा में किसी एक विषय में फेल हो जाता है, उसे अगली उच्चतर कक्षा में जाने की अनुमति दी जाती है और वह उस विषय, जिसमें वह फेल हुआ है की परीक्षा में बैठता है तथा अगली उच्चतर परीक्षा में बैठने से पहले उसे सफलतापूर्वक पूरा कर लेता है। तथापि भारतीय दन्त परिषद को कोई आपत्ति नहीं होगी यदि संबंधित विश्वविद्यालय अपनी/अपने संविधि/विनियमों में उपबंधित परीक्षा स्कीम का पालन करता हो।

मुख्य विकृति विज्ञान तथा मुख्य सूक्ष्मजीव विज्ञान विषय की कम संख्या 3 के बाद निम्न जोड़ा जाएगा:

यदि कोई अभ्यर्थी किसी परीक्षा में किसी एक विषय में फेल हो जाता है, उसे अगली उच्चतर कक्षा में जाने की अनुमति दी जाती है और वह उस विषय, जिसमें वह फेल हुआ है की परीक्षा में बैठता है तथा अगली उच्चतर परीक्षा में बैठने से पहले उसे सफलतापूर्वक पूरा कर लेता है। तथापि भारतीय दन्त परिषद को कोई आपत्ति नहीं होगी यदि संबंधित विश्वविद्यालय (दूसरे वर्ष के बाद से) अपनी/अपने संविधि/विनियमों में उपबंधित परीक्षा स्कीम का पालन करता हो।

मौजूदा विनियम, 2007 के पृष्ठ 4 पर निम्न प्रतिस्थापित किया जाएगा—

अंतिम बीडीएस (चौथा वर्ष)

- जन स्वास्थ्य दंतचिकित्सा
- पेरियोडॉटोलोजी
- आर्थोडेंटिक्स तथा डेंटोफिशियल आर्थोपीटिक
- मुख्य चिकित्सा तथा विकिरण चिकित्सा विज्ञान
- मुख्य तथा मैक्सिलोफिशियल सर्जरी
- परिरक्षी तथा एंडोडेंटिक्स
- प्रोस्थोडेंटिक्स तथा काउन और त्रिज
- बाल चिकित्सा तथा निवारक दंतचिकित्सा

भाग- I

- जन स्वास्थ्य दन्तचिकित्सा
- पेरियोडॉटोलोजी
- आर्थोडेंटिक्स तथा डेंटोफिशियल आर्थोपीटिक
- मुख्य चिकित्सा तथा विकिरण चिकित्सा विज्ञान

भाग- II

- मुख्य तथा मैक्सिलोफिशियल सर्जरी
- परिरक्षी तथा एंडोडेंटिक्स
- प्रोस्थोडेंटिक्स तथा काउन और त्रिज
- बाल चिकित्सा तथा निवारक दंतचिकित्सा

टिप्पणी

1. संबंधित विश्वविद्यालय चौथे बीडीएस अंतिम वर्ष में उपर वर्णित किसी एक परीक्षा पद्धति का विकल्प दे सकते हैं।
2. यदि कोई विश्वविद्यालय आंशिक परीक्षा पद्धति का विकल्प देता है तो ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जो चौथे (अंतिम वर्ष) भाग- I परीक्षा में किसी विषय में फेल हो, उसे भाग- II परीक्षा में बैठने की अनुमति है तथा उसे स्थानबद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम में जाने की अनुमति दिए जाने से पूर्व दोनों भाग सफलतापूर्वक पूरे कर लेने चाहिए।
3. क्योंकि जन स्वास्थ्य दंत चिकित्सा विभाग में अपर्याप्त शिक्षण स्टाफ है, इसलिए उसे पेरियोडॉटिक्स के साथ जोड़ दिया जाना चाहिए। इस व्यवस्था की तीन वर्ष बाद पुनरीक्षा की जाएगी।

पृष्ठ 6 पर 5वें वर्ष के विषय हटा दिए जाएंगे।

(iii) परीक्षा की योजना मौजूदा मूल विनियमों के पृष्ठ 5 पर पंक्ति 1-4 के स्थान पर निम्न प्रतिस्थापित किया जाएगा—

बीडीएस पाठ्यक्रम के लिए परीक्षा की योजना इस प्रकार विभाजित की जाएगी, पहले शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति पर पहली बीडीएस परीक्षा, दूसरे वर्ष की समाप्ति पर दूसरी बीडीएस परीक्षा, तीसरे वर्ष की समाप्ति पर तीसरी बीडीएस परीक्षा चौथे वर्ष की समाप्ति पर चौथी तथा अंतिम बीडीएस परीक्षा। जहां कहीं सेमेस्टर प्रणाली मौजूद है अंतिम वर्ष में दो परीक्षाएं होंगी। जिन्हें संबंधित परीक्षाओं (विनियम 1983) का माना-। तथा भाग-2 कहा जाएगा। प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में कम से कम 240 दिनों का शिक्षण अनिवार्य है।

सेमेस्टर पद्धति का विकल्प देने वाले विश्वविद्यालयों के लिए प्रत्येक सेमेस्टर में कवर किए जाने वाले विषयों का सुझाव नीचे प्रस्तुत है:-

भाग- I

- जन स्वास्थ्य दन्तचिकित्सा
- पेरियोडॉटोलोजी
- आर्थोडेंटिक्स तथा डेंटोफिशियल आर्थोपीटिक
- मुख्य चिकित्सा तथा विकिरण चिकित्सा विज्ञान

भाग- II

- मुख्य तथा मैक्सिलोफिशियल सर्जरी

- परिरक्षी तथा एंडोडॉटिक्स
- प्रोस्थोडॉटिक्स तथा काउन और त्रिज
- बाल चिकित्सा तथा निवारक दंतचिकित्सा

पृष्ठ 6 पर V बीडीएस परीक्षा शब्द हटा दिए जाएंगे।

(V) मौजूदा मूल विनियमों के पृष्ठ संख्या 16 पर यथानिर्दिष्ट मौजूदा के लिए प्रतिस्थापित अध्ययन के प्रत्येक विषय (बीडीएस पाठ्यक्रम) के लिए न्यूनतम कार्य-समय

विषय	लेक्चर घंटे	प्रायोगिक घंटे	नैदानिक घंटे	कुल घंटे
सामान्य मानवीय शरीर रचना विज्ञान जिसमें भ्रूण विज्ञान, अस्थि प्रकरण तथा ऊतक विज्ञान शामिल है	100	175		275
सामान्य मानवीय शरीर विज्ञान	120	80		180
जैव रसायन	70	80		130
दंत्य सामग्रियां	80	240		320
दंत्य संरचना भ्रूण विज्ञान तथा मुखीय ऊतक विज्ञान	105	250		355
दंत्य फार्माकोलाजी तथा चिकित्साविज्ञान	70	20		90
सामान्य विकिरण चिकित्सा, सूक्ष्म जीवविज्ञान	55	55		110
सामान्य चिकित्सा	65	50		115
सामान्य सर्जरी	60		9	150
मुखीय विकृतिविज्ञान तथा सूक्ष्मजीवविज्ञान	60		90	150
मुखीय चिकित्सा तथा विकिरण चिकित्साविज्ञान	145	130		275
बाल चिकित्सा तथा निवारक दंतचिकित्सा	65		170	235
आर्थोडॉटिक्स तथा दंत्य विकलांग विज्ञान	65		170	235
पेरियोडॉटोलोजी	50		170	220
मुखीय तथा मैक्सिलोफेशियल सर्जरी	80		170	250
परिरक्षी दंतचिकित्सा तथा एंडोडॉटिक्स	70		270	340
प्रोस्थोडॉटिक्स तथा काउन और त्रिज	135	200	370	705
जन स्वास्थ्य दंतचिकित्सा जिसमें तम्बाकू नियंत्रण तथा आदत निर्माण पर लेक्चर शामिल हैं	135	300	370	805
योग	80		200	260
	1590	1540	1989	5200

टिप्पणी: प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में 8 घंटों के कार्यसमय सहित, जिसमें एक घंटे का मध्याह्नकाश शामिल है कम से कम 240 शिक्षण दिवस होने चाहिए।

स्थानबद्ध प्रशिक्षण 240x8=1920 नैदानिक घंटे

(V) मौजूदा मूल विनियम 2007 के पृष्ठ 17 पर निर्दिष्ट मौजूदा चौथा वर्ष बीडीएस पाठ्यक्रम के लिए निम्न शिक्षण/नैदानिक घंटों नीचे बताए अनुसार प्रतिस्थापित किए जाएं :-

विषय	लेक्चर घंटे	प्रायोगिक घंटे	नैदानिक घंटे	कुल घंटे
प्रोस्थोडॉटिक्स	80		300	380
मुखीय चिकित्सा	45		100	145
पेरियोडॉटिक्स	50		100	150
जन स्वास्थ्य	60		200	260
परिरक्षी दंतचिकित्सा	60		300	360
मुखीय सर्जरी	50		200	250
आर्थोडॉटिक्स	30		100	130
पेडोडॉटिक्स	45		100	145
योग	440		1400	1840

लेकिन शर्त यह है कि इस विनियम अथवा संबंधित विश्वविद्यालय की किसी संविधि अथवा नियमों, विनियमों अथवा मार्गनिर्देशों अथवा अधिसूचनाओं अथवा फिलहाल लागू किसी अन्य विधि के प्रावधान में निहित कोई भी बात किसी भी ऐसे छात्र को जो पहले सेमेस्टर के एक अथवा एक से अधिक विषयों में फेल हो गया हो अपने चौथे वर्ष के बीडीएस पाठ्यक्रम जारी रखने से नहीं रोकेंगी। ऐसा छात्र इन विषयों को दूसरे सेमेस्टर में ले जाएगा तथा दूसरे सेमेस्टर के विषयों के साथ इन विषयों की परीक्षा में बैठेगा। स्थानबद्ध प्रशिक्षण शुरू करने से पहले चौथा बीडीएस पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए सभी आठ विषयों में पास होना जरूरी है।

(vi) केवल पंजाब और आन्ध्रप्रदेश के लिए प्रतिस्थापित किया जाए।

केवल 2007 बैच (पंजाब और आन्ध्र प्रदेश) को मौजूदा पांच वर्षीय कार्यक्रम का पालन करना होगा। उसके बाद तीसरा संशोधन लागू हो जाएगा।

बशर्ते कि संबंधित विश्वविद्यालय प्रस्तावित संशोधन का पालन करता है।

(vii) पृष्ठ संख्या 17 पर पाठटिप्पणी के नीचे निम्न को हटा दिया जाए:-

1. अंत में टिप्पणी संख्या 3 के नीचे निम्न हटा दिया जाए:
“तथा पांचवा वर्ष”
2. अंत में टिप्पणी संख्या 4 के नीचे निम्न हटा दिया जाए:
“तथा पांचवा वर्ष”
3. अंत में टिप्पणी संख्या 5 के नीचे निम्न हटा दिया जाए:
“तथा पांचवा वर्ष”
4. टिप्पणी संख्या 6 हटा दी जाए:

5. टिप्पणी संख्या 7 हटा दी जाए:

(viii) मौजूदा बीडीएस पाठ्यक्रम विनियम 2007 के पृष्ठ सं० 17 पर "V बीडीएस" पाठ्यक्रम के लिए यथानिर्धारित शिक्षण घंटे हटा दिए जाएं।

भारतीय दंत्य परिषद को इस बात की जांच करने के लिए की क्या कालेजों द्वारा डीसीआई द्वारा निर्धारित स्थानबद्ध प्रशिक्षण के मानदंडों का अनुपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी भी कालेज में निरीक्षण करने का विशेषाधिकार प्राप्त है।

कर्मल (सेवानिवृत्त) डॉ. एस. के. ओझा, कार्यवाहक सचिव

[विज्ञापन III/4/98/11 (पी.ओ.)/असा.]

पाद टिप्पणियां :

1. मूल विनियम अर्थात् भारतीय दंत्य परिषद संशोधित बीडीएस पाठ्यक्रम विनियम 2007 भारत के असाधारण राजपत्र के भाग—III, खंड—4 में 10.9.2007 को प्रकाशित हुए थे।
2. मूल विनियमों में पहला संशोधन भारत के असाधारण राजपत्र के भाग—III, खंड—4 में 11.1.2008 को प्रकाशित हुआ था।
2. मूल विनियमों में दूसरा संशोधन भारत के असाधारण राजपत्र के भाग—III, खंड—4 में 29.10.2010 को प्रकाशित हुआ था।

संलग्नक-ए

भारतीय दंत्य परिषद
संशोधित स्थानबद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम, 2011

दंत्य स्थानबद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम की पाठ्यचर्या

1. स्थानबद्ध प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष होगी।
 2. स्थानबद्ध प्रशिक्षण के सभी भाग देश के भीतर दंत्य स्नातकों को शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भारतीय दंत्य परिषद द्वारा विधिवत रूप से सन्वत्सप्रदत्त/अनुमोदित दंत्य कालेज में आयोजित किए जाएंगे।
 3. स्थानबद्ध प्रशिक्षणार्थियों को, स्थानबद्ध प्रशिक्षण की अवधि के लिए जो एक वर्ष से अधिक नहीं होगी वृत्ति-मत्ते का मुग्तान किया जाएगा।
 4. स्थानबद्ध प्रशिक्षण अनिवार्य होना और इस प्रयोजन के लिए निर्धारित विनियमों के अनुसार बारी-बारी से होगा।
 5. बीडीएस की द्वितीय स्थानबद्ध प्रशिक्षण पूरा करने के बाद दी जाएगी।
- दंत्य स्नातकों के लिए स्थानबद्ध प्रशिक्षण के वास्ते पाठ्यचर्या के निर्धारक तत्त्व स्थानबद्ध प्रशिक्षण की पाठ्यचर्यात्मक अंतर्वस्तु निम्न पर आधारित होगी:-

- (i) समाज की दंत्य स्वास्थ्य संबंधी जरूरत
- (ii) इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध वित्तीय, भौतिक तथा जनशक्ति संसाधन
- (iii) राष्ट्रीय दंत्य स्वास्थ्य नीति
- (iv) लोगों की आमतौर पर समाजार्थिक स्थितियां
- (v) स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति के लिए मौजूदा दंत्य और साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल अवधारणा
- (vi) दंतचिकित्सा में स्नातक विभिन्न अभ्यास स्थितियों, निजी तथा सरकारी सेवा में वस्तुतः क्या निष्पादित करते हैं, उसका विश्लेषण।
- (vii) दंत्य समस्याओं की मात्रा, दंत्य समस्याओं की गंभीरता और उन समस्याओं के कारण उत्पन्न सामाजिक विघटन को ध्यान में रखते हुए विभिन्न दंत्य स्वास्थ्य समस्याओं की व्यापकता का पता लगाने के लिए आयोजित जानपदिकरोग वैज्ञानिक अध्ययन।

उद्देश्य

- ए. अधिगम के सुदृढीकरण तथा अतिरिक्त ज्ञान के अर्जन को सुविधापूर्ण बनाना:
- (क) ज्ञान का सुदृढीकरण
(ख) व्यक्ति तथा समुदाय के लिए उपलब्ध तकनीक तथा संसाधन, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थितियां ।
(ग) चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षण, साझा से पूर्ण दायित्व तक ।
- बी. निम्न में बुनियादी कौशलों की प्राप्ति, क्षमता बनाए रखने के संदर्भ में क्षमता प्राप्त करना:-
- (i) इतिवृत्त लेना
(ii) नैदानिक परीक्षण
(iii) निष्पादन और अनिवार्य प्रयोगशाला डाटा की व्याख्या
(iv) डाटा विश्लेषण और निष्कर्ष
(v) रोगी के भीतर आशा तथा आशावाद उत्पन्न करने के प्रति लक्षित संचार कौशल
(vi) नैदानिक स्थितियों और सामुदायिक सामूहिक कार्य में कार्यात्मक संबंध स्थापित करने के लिए अभिरुचियां
- सी. सुदृढ अभिवृत्तियां तथा आदतें विकसित करने को सुविधापूर्ण बनाना
- (i) रोग/संलक्षणों पर नहीं बल्कि व्यक्ति तथा मानवों पर बल देना
(ii) विखंडित उपचार की बजाए व्यापक देखभाल की व्यवस्था करना
(iii) दंत्य शिक्षा जारी रखना और दायित्व स्वीकार करना सीखना
- डी. व्यावसायिक तथा नैतिक सिद्धांतों की समझ सुविधापूर्ण बनाना :
- रोगियों के अधिकार तथा प्रतिष्ठा ।
- अन्य व्यावसायिकों के साथ परामर्श तथा वरिष्ठों/संस्थानों के पास भेजना ।
- हमजोलियों, सहकर्मियों, रोगियों, परिवारों तथा समुदायों के प्रति दायित्व ।
- आपातक स्थिति में निःशुल्क व्यावसायिक सेवाओं की व्यवस्था
- ई. व्यक्तियों, परिवारों और समुदाय के स्तर पर ऐसी वैयक्तिक तथा सामूहिक कार्यवाई की शुरुआत करना जिससे कि रोग निवारण और दंत स्वास्थ्य प्रोत्साहन मिल सके ।

अंतर्वस्तु (विषयवस्तु)

अनिवार्य और बारी-बारी से दिए जाने वाले सवेतन दंत्य स्थानबद्ध प्रशिक्षण में ये शामिल होंगे: मुख्य चिकित्सा तथा विकिरण चिकित्साविज्ञान, मुख्य तथा मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, प्रोस्थोडॉटिक्स, पेरियोडॉटिक्स, परिरक्षी दंतचिकित्सा, पेडोडॉटिक्स, मुख्य चिकित्साविज्ञान तथा सूक्ष्म जीवविज्ञान, आर्थोडॉटिक्स तथा सामुदायिक दंतचिकित्सा ।

सामान्य मार्गनिर्देश

- यह कार्योन्मुखी प्रशिक्षण होगा । सहवासियों को विभिन्न संस्थानगत तथा क्षेत्रीय कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए और उन्हें दंत्य कालेजों तथा सहयोगी संस्थानों के सभी विभागों में कियाकलाप करने की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए ।
- बुनियादी कौशलों तथा अभिवृत्तियों की प्रगति को सुविधापूर्ण बनाने के लिए सभी दंत्य स्नातकों को निम्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए:-
 - इतिवृत्त लेना, परीक्षण, निदान, मामले की उपचार योजना की रूपरेखा तैयार करना और रिकार्ड करना
 - संगोष्ठियों के समूह में मामलों की प्रस्तुति
 - प्रदत्त औजारों की देखभाल तथा निर्जीवाणूकरण
 - अनिवार्य प्रयोगशाला परीक्षणों तथा अन्य संगत जांचों का निष्पादन तथा व्यवस्था ।
 - डाटा विश्लेषण तथा निष्कर्ष ।
 - प्रतिजीवियों, शोध-विरोधी तथा अन्य दवाइयों का और साथ ही अन्य चिकित्सीय प्रविधियों का समुचित प्रयोग ।
 - संस्थान में और साथ ही क्षेत्र में काम करते समय दंत्य स्वास्थ्य देखभाल के सभी पक्षों की बाबत रोगियों, उनके संबंधियों और समुदाय की शिक्षा
 - आशा, विश्वास तथा आशावाद प्रेरित करने के प्रति लक्षित संचार ।
 - अपराध-विज्ञान विधिरास्त्र के अधीन रोगियों के कानूनी अधिकार तथा दंत्य स्नातक के दायित्व ।
- मुख्य चिकित्सा तथा विकिरण चिकित्सा विज्ञान
 - रोगियों की मानकीकृत जांच 25 रोगी
 - नैदानिक, विकृतिवैज्ञानिक प्रयोगशाला क्रियाविधि तथा बायोप्सियों का प्रभाव 5 रोगी
 - रेडियोग्राफ लेने में प्रभावी प्रशिक्षण 2 पूर्ण मुख
(अन्तःमुखीय) आई.ओ. (मुखीय से इतर) ई.ओ. 1
सिफैलोग्राम 1
वार्डों में रोगियों की प्रभावी देखभाल 2 रोगी

3243 GI/11-2

2. मुख्य तथा मैक्सिलोफेशियल सर्जरी

ए. मुख्य सर्जरी में अपनी तैनाती के दौरान स्थानबद्ध प्रशिक्षणार्थी निम्न क्रियाविधियां निष्पादित करेंगे:

1. दांत निकालना	50
2. दांत निकालना (सर्जरी)	2
3. इम्पेक्शन	2
4. साधारण इंट्रामैक्सिलरी फिक्सेशन	1
5. पुटिका समूल निष्कासन	1
6. छेदन तथा निकास	2
7. ऐलिवियोलोप्लास्टीज, बायोप्सी तथा फेनैकटामीज	3

बी. स्थानबद्ध प्रशिक्षणार्थी कैंसर रोगियों के संबंध में निम्न क्रियाविधियां निष्पादित करेंगे :

1. फाइलवर्क का रख-रखाव
2. रेडियोथिरेपी के मामलों के लिए दांत निकालेंगे
3. बायोप्सी करेंगे
4. मुख्य कैंसर के विविध रोगियों को देखेंगे ।

सी. स्थानबद्ध प्रशिक्षणार्थियों को किसी दंत/जनरल अस्पताल में आपातक सेवाओं में 15 दिन के लिए तैनात किया जाएगा, जब उन पर वाडों में आपातक दंत देखभाल की अतिरिक्त जिम्मेदारी रहेगी ।

1. आपातक स्थितियां

(i) दांत का दह (ii) त्रिघारा न्यूरोल्लिज्या (iii) ट्रायमा, दांत निकालने के बाद रक्तस्राव विकृति भाव हीमोफीलिया (iv) मेंडिबिल तथा मैक्सिला अस्थिमंग के कारण वायुपथ का रुक जाना, मेंडिबिल च्युति, मूर्छा अथवा वाहिका-वेगसी प्रहार; लुडविग, ऐंजाइना, दंत अस्थिमंग; सामान्य वेदनाहरण के बाद इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन ।

2. पुनरुज्जीवन क्रियाविधियों के विशेष संदर्भ में आई.सी.यू. में कार्य

3. आपातकालीन विभाग में आने वाले वास्तविक रोगियों पर रिपोर्ट करने सहित चिकित्सीय विधिक पक्षों पर ट्यूटोरियलों का आयोजन । उन्हें विधि न्यायालयों का दौरा भी करना चाहिए ।

3. प्रोस्थोडॉटिक्स

प्रोस्थोडॉटिक्स में अपनी तैनाती के दौरान दंत्य स्नातक निम्न कार्य करेंगे:-

1. पूर्ण कृत्रिम दंतावली (उपर और नीच)	2
2. हटाए जा सकने योग्य आंशिक दंतावली	4
3. स्थिर आंशिक दंतावली	1
4. नियोजित कास्ट आंशिक दंतावली	1
5. विविध जैसेकि रीलाइन/ओवर डेंचर/मैक्सिलोफेशियल प्रोस्थीसिस की मरम्मत	1
6. फेस बो तथा सेमी एनाटॉमिक आर्टिक्युलेटर तकनीक का प्रयोग सीखना	
7. काउन	
8. इम्प्लांट लगाना	

4. पेरियोडॉटिक्स

ए. दंत्य स्नातक निम्न क्रियाविधियां करेंगे :-

1. रोग निरोध	15 रोगी
2. फ्लैप आपरेशन	2 रोगी
3. रूट नियोजन	1 रोगी
4. क्यूरेटेज	1 रोगी
5. गिंगीवैक्टोमी	1 रोगी
6. पेरिया-एण्डो रोगी	1 रोगी

बी. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अपनी एक सप्ताह की तैनाती के दौरान स्थानबद्ध प्रशिक्षणार्थी जनता को पेरियोडॉटल रोगी में शिक्षा प्रदान करेंगे ।

5. परिरक्षी दंतचिकित्सा

बुनियादी कौशल सीखने और उनकी प्रगति के सुदृढीकरण को सुविधापूर्ण बनाने के लिए स्थानबद्ध प्रशिक्षणार्थी कम से कम निम्न क्रियाविधियां स्वतंत्र रूप से अथवा पर्यवेक्षकों के मार्गदर्शन में निष्पादित करेंगे ।

1.	अत्यधिक कटे-फटे दांती की बहाली	5 रोगी
2.	इनले तथा आनले निर्मितियां	1 रोगी
3.	दांत के वर्ण की जीर्णोद्धार सामग्री का प्रयोग	4 रोगी
4.	अपवर्णित मुख्य तथा मुख्येतर दांतों का इलाज	1 रोगी
5.	डेंटो ऐल्वेओलर अस्थिमंग की देखभाल	1 रोगी
6.	पेरीएपिकल विकृति के बिना मज्जारहित, एकल मूल के दांतों की देखभाल	4 रोगी
7.	गंभीर डेंटो ऐल्वेओलर संक्रमणों की देखभाल	
8.	परिसरीय विकृति अवधि सहित मज्जारहित एकल मूल के दांतों की देखभाल	2 रोगी
9.	रचना अवधि के दौरान अभिघातज दांतों की नान-सर्जिकल देखभाल	1 रोगी
6.	पेडोडॉण्टिक्स तथा निवारक दंतचिकित्सा	
	पेडोडॉण्टिक्स विभाग में अपनी तैनाती के दौरान दंत्य स्नातक निम्न कार्य करेंगे:-	
	वार्निश सहित फ्लूराइड्स का स्थानिक प्रयोग	5 रोगी
	बच्चों में क्षरणग्रस्त पाती दांतों की जीर्णोद्धार क्रियाविधियां	10 रोगी
	पल्पोटोमी	2 रोगी
	पल्पेक्टोमी	2 रोगी
	स्पेस मेंन्टनरों की संरचना और निवेशन	1 रोगी
	मुखीय आदतें छुड़ाने के उपकरण	1 रोगी
7.	मुखीय विकृतिविज्ञान तथा सूक्ष्म जीव विज्ञान	
	स्थानबद्ध प्रशिक्षणार्थी निम्न काम करेंगे :-	
1.	इतिवृत्त रिकार्ड करना और नैदानिक परीक्षण	5 रोगी
2.	रक्त, मूत्र और थूक की जांच	5 रोगी
3.	विपत्रण कोशिका प्रकरण तथा स्मीयर्स अध्ययन	2 रोगी
4.	बायोप्सी-प्रयोगशाला क्रियाविधि तथा रिपोर्ट देना	1 रोगी
8.	आर्थोडॉण्टिक्स	
ए.	आर्थोडॉण्टिक्स विभाग में अपनी तैनाती के दौरान स्थानबद्ध प्रशिक्षणार्थी निम्न क्रियाविधियां देखेंगे:-	
1.	5 रोगियों के लिए विस्तृत नैदानिक क्रियाविधियां	
2.	हटाए जा सकने योग्य उपकरणों, सोल्डरिंग तथा मायो-कार्यात्मक उपकरणों के संसाधन के लिए तार मोड़ने सहित प्रयोगशाला तकनीक	
3.	बैंड बनाना, बाँडिंग क्रियाविधियां तथा तार निवेशन	
4.	एक्स्ट्रा ओरल एन्करेज का प्रयोग तथा बल मानों का प्रेक्षण	
5.	रिटेंनर	
6.	ऐसे रोगियों को संभालना जिनकी मुखीय आदतों के कारण मैलोकलुसंस पैदा हो जाते हैं।	
	दंत्य स्नातक निम्न प्रयोगशाला कार्य करेंगे:-	
1.	हटाए जा सकने योग्य उपकरणों और स्पेस मेंटेनर्स के लिए तार बंकन जिसमें वेल्डोइंग और ताप उपचार क्रियाविधि शामिल है	5 रोगी
2.	सोल्डरिंग क्रियाएं, बैंडिंग तथा बाँडिंग क्रियाविधियां	2 रोगी
3.	सामान्य आर्थोडॉण्टिक्स उपकरणों का शीत तथा तप्त उपचार एकिलीकरण	5 रोगी
9.	जन स्वास्थ्य दंतचिकित्सा	
1.	स्थानबद्ध प्रशिक्षणार्थी मुखीय स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य, पोषण, व्यवहारपरक विज्ञान, पर्यावरणात्मक स्वास्थ्य, निवारक दंतचिकित्सा तथा जानपदिकरोग विज्ञान के संबंध में व्यक्तियों और समूहों के लिए स्वास्थ्य शिक्षा सत्रों का आयोजन करेंगे।	
2.	वे समुदाय में जानपदिकरोगवैज्ञानिक सर्वेक्षण करेंगे अथवा विकल्प के रूप में नियोजन और प्रविधि में भाग लेंगे।	
3.	वे निम्न के प्रभावी निदर्शन की व्यवस्था करेंगे:-	
	(क) प्रचलित दंत्य रोगों के लिए निवारक तथा अवरोधी क्रियाविधियां	
	(ख) मुंह को खगालना तथा अन्य मुखीय स्वास्थ्य निदर्शन	5 रोगी
	(ग) दूध ब्रश करने की तकनीक	5 रोगी
4.	निम्न स्थलों पर स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमों का आयोजन	
	ए स्कूल वातावरण	2
	बी सामुदायिक वातावरण	2
	सी प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम	2
5.	स्वास्थ्य शिक्षा सामग्री तैयार करना	5
6.	दलगत अवधारणा तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों का ज्ञान	:
	(क) स्वास्थ्य आधारिक सुविधाओं का कार्यक्रम देखना	

- (ख) बहुदेशीय कार्मिकों पुरुष तथा महिला, स्वास्थ्य प्रशिक्षकों तथा अन्य कार्मिकों सहित स्वास्थ्य देखभाल दल का कार्यकरण देखना
- (ग) कम से कम एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम को देखना
- (घ) प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के साथ मुख्य स्वास्थ्य देखभाल की आपूर्ति के अंतः संबंधों को देखना । इस प्रकार के शिक्षण के लिए जहां कहीं उपलब्ध हो सचल दंत्य क्लिनिक उपलब्ध कराये जाने चाहिए ।

10. पसंदीदा तैनाती

स्थानबद्ध प्रशिक्षणार्थियों को कम से कम 15 दिन के लिए उनकी छुट्टी के अनुसार पूर्व में उल्लिखित किसी भी दंत्य विभाग में तैनात किया जाना चाहिए।

अंतर्वस्तु की व्यवस्था

4 वर्षीय बीडीएस प्रशिक्षण के दौरान पाठ्यचर्या विषय आधारित होती है जिसमें व्यावहारिक कौशल सीखने पर बल दिया जाता है। एक वर्षीय स्थानबद्ध प्रशिक्षण के दौरान क्षमता-आधारित समुदायोन्मुखी प्रशिक्षण पर बल दिया जाएगा। स्थानबद्ध प्रशिक्षणार्थियों को जिन व्यावहारिक कौशलों के न्यूनतम निष्पादन स्तर सहित पारंगति प्राप्त करनी है वे दंत्य शिक्षा के विभिन्न विभागों की पाठ्यक्रम अंतर्वस्तु के अधीन दिए गए हैं। पर्यवेक्षकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके निष्पादन के लिए सभी विभागों तथा सम्बद्ध संस्थानों में समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

शिक्षण क्रियाकलापों की विशिष्टता

बीडीएस में चार वर्षीय प्रशिक्षण के दौरान शिक्षात्मक लेक्चर प्रदान किए जाते हैं। स्थानबद्ध प्रशिक्षण के दौरान ये निकाल दिए जाएंगे। चेंबर-साइड शिक्षण, लघु समूह शिक्षण, द्यूटोरियल, संगोष्ठियों, वार्ड तैनाती, प्रयोगशाला तैनाती, क्षेत्रीय दौरों तथा स्व-अधिगम पर बल दिया जाएगा।

संसाधन सामग्री का प्रयोग

सभी दंत्य कालेजों तथा सम्बद्ध संस्थानों और क्षेत्रीय इलाके में ओवरहेड प्रोजेक्टरों, स्लाइड प्रोजेक्टरों, नमूनों, माडलों तथा अन्य श्रव्यदृश्य सहायक सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। यदि संभव हो तो स्थानबद्ध प्रशिक्षणार्थियों को जिन विभिन्न क्रियाविधियों तथा तकनीकों में पारंगति प्राप्त करनी है, उन्हें दर्शाने वाले टेलीविजन, वीडियो और टेप उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

मूल्यांकन

1. रचनात्मक मूल्यांकन

स्थानबद्ध प्रशिक्षणार्थियों की स्थानबद्ध तैनाती के दौरान उनका दैनिक मूल्यांकन किया जाना चाहिए। उद्देश्य यह है कि सभी स्थानबद्ध प्रशिक्षणार्थी, अपना रोजमर्रा का व्यावसायिक कार्य सक्षम तौर पर करने के लिए अपेक्षित न्यूनतम कौशल अवश्य प्राप्त कर लें। यह तभी हो सकता है जबकि सभी स्थानबद्ध प्रशिक्षणार्थियों द्वारा रिकार्ड और निष्पादन डाटा पुस्तक रखी जाए। यह केवल यही नहीं कि प्रशिक्षण की प्रक्रिया का निदर्शनीय साक्ष्य उपलब्ध कराएगा, बल्कि इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रशिक्षणार्थी निष्पादन से जुड़ी क्षमताएं प्राप्त कर लेंगे। यह रचनात्मक मूल्यांकन के एक हिस्से का निर्माण करेगा और साथ ही स्थानबद्ध प्रशिक्षणार्थियों के अंतिम ग्रेड निर्धारण के एक घटक का भी निर्णय करेगा।

2. संक्षिप्त मूल्यांकन

यह विभिन्न विभागों के पर्यवेक्षकों के अभिमतों तथा स्थानबद्ध प्रशिक्षणार्थियों द्वारा रखे गए रिकार्ड और निष्पादन पुस्तिकाओं पर आधारित होगा।

11. ग्रामीण सेवाएं

ग्रामीण सेवाओं में छात्र निम्न क्रियाकलापों में भाग लेगा-

1. सामुदायिक स्वास्थ्य मानीटरिंग कार्यक्रम और सेवाएं जिनमें निवारक, नैदानिक तथा सुधारणात्मक क्रियाविधियां शामिल होंगी।
2. दंत स्वास्थ्य और लोगों के बारे में शैक्षिक जागरूकता उत्पन्न करना।
3. निम्न में मुख्य स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम का आयोजन:

(क) स्कूल वातावरण	5
(ख) सामुदायिक वातावरण	5
(ग) प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम	5
4. दूरस्थ क्षेत्रों में उपग्रह क्लिनिकों की अनिवार्य स्थापना 1
5. तम्बाकू के प्रयोग के हानिप्रद प्रभावों और मुख्य कैंसर के प्रति पूर्वानुकूलता के संबंध में सार्वजनिक मंचों पर जागरूकता सृजन और शिक्षा -प्रति छात्र दो लेक्चर।

तैनाती की अवधि

- | | |
|------------------------------------------------|----------|
| 1. मुख्य चिकित्सा और विकिरण चिकित्साविज्ञान | 1 महीना |
| 2. मुख्य तथा मैक्सिलोफेशियल सर्जरी | 1½ महीना |
| 3. प्रोस्थोडॉटिक्स | 1½ महीना |
| 4. संरक्षी दंतचिकित्सा | 1 महीना |
| 5. पेडोडॉटिक्स | 1 महीना |
| 6. मुख्य चिकित्साविज्ञान और सूक्ष्म जीवविज्ञान | 15 दिन |
| 7. आर्थोडॉटिक्स | 1 महीना |
| 8. सामुदायिक दंतचिकित्सा | 1 महीना |
| 9. ग्रामीण सेवाएं | 3 महीने |
| 10. वैकल्पिक | 15 दिन |

**DENTAL COUNCIL OF INDIA
NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th August, 2011

No.DE-130-2011.—In exercise of the powers conferred by Section 20 of the Dentists Act, 1948, the Dental Council of India after consultation with the State Government as prescribed in clause (g) & (h) of Sub Section 2 of Section 20 of the Dentists Act, 1948, and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Amendments to the existing Revised BDS Course Regulations 2007, published in Part III, Section 4 of The Gazette of India, Extraordinary, dated 10th September 2007.

1. Short title and commencement.—

- (i) These Regulations may be called the Dental Council of India Revised BDS Course (3rd Amendment) Regulations, 2011.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
Provided that the Affiliating University/State Government are free to make applicable these amendment even to its students who would pursue their 4th year BDS Course during the academic session 2011-12 onwards. It is upto the University to implement this amendment provided it abides by their Act/Rules and Regulations.

2. The existing Revised BDS Course Regulations 2007 be substituted to the extent indicated hereunder:-

(i) **Duration of the Course:**

The existing provision be substituted with the following:-

The undergraduate dental programme leading to BDS Degree shall be of 4 (four) academic years, with 240 teaching days in each academic year, plus one year paid rotating internship in a dental college. Every candidate will be required, after passing the final BDS Examination, to undergo one year paid rotating internship in a dental college. The detailed curriculum of Dental Internship Programme is annexed as **Annexure-A**. The internship shall be compulsory and BDS Degree shall be granted after completion of one year paid Internship.

NOTE:— It is recommended by the DCI that the colleges who have implemented the revised BDS Course Regulation, 2007, in 2007 itself, has to carry on with the existing five year programme. Regarding internship for this batch it is upto the respective university to decide. Further, the admissions made from the year 2008-09, the students may be included in this amendment provided the concerned University's rules permit.

(ii) **EXAMINATIONS:-**

There is no change in syllabus upto 3rd year (2007).

The following will be substituted at page No. 4 of the Existing Regulations, 2007:-

Any candidate who fails in one subject in an Examination is permitted to go to the next higher class and appears for the said failed subject and complete it successfully before he is permitted to appear for the next higher examination. However, the Dental Council of India would have no objection, if the concerned University follows their examination scheme provided in their statute/regulations.

After Sl. No. 5 of the subject, Pre-clinical Prosthodontics, the following be added:-

Any candidate who fails in one subject in an Examination is permitted to go to the next higher class and appears for the said failed subject and complete it successfully before he is permitted to appear for the next higher examination. However, the Dental Council of India would have no objection, if the concerned University follows their examination scheme provided in their statute/regulations.

After Sl. No. 3 of the subject, Oral Pathology and Oral Microbiology, the following be added:-

Any candidate who fails in one subject in an Examination is permitted to go to the next higher class and appear for the subject and complete it successfully before he is permitted to appear for the next higher examination. However, the Dental Council of India would have no objection, if the concerned University follows their examination scheme (2nd year onwards) provided in their statute/regulations.

The following will be substituted at page No. 4 of the Existing Regulations, 2007:-
Final BDS (Fourth Year):

- Public Health Dentistry
- Periodontology
- Orthodontics and Dentofacial Orthopaetic
- Oral Medicine and Radiology
- Oral & Maxillofacial Surgery
- Conservative and Endodontics
- Prosthodontics and Crown & Bridge
- Paediatric and Preventive Dentistry

OR

Part-I

- Public Health Dentistry
- Periodontology
- Orthodontics and Dentofacial Orthopaetic
- Oral Medicine and Radiology

Part -II

- Oral & Maxillofacial Surgery
- Conservative and Endodontics
- Prosthodontics and Crown & Bridge
- Paediatric and Preventive Dentistry

Note:-

1. The concerned Universities may opt for any one of the examination pattern mentioned above in 4th BDS final year.
2. If any University opt for the part examination system then any candidate who fails in any subject in 4th (final) year Part-I examination is permitted to go to the part-II examination and should complete both parts successfully before he/she is permitted to go for Internship programme.
3. Since there are inadequate teaching staffs in Department of Public Health Dentistry, the same may be clubbed together under the head of Periodontics. This arrangement shall be reviewed after three years.

At page No.6, .5th year subjects will be deleted

(iii)

SCHEME OF EXAMINATION:

For line 1 - 4 at page 5 of the existing Principle Regulations, the following be substituted:-

The Scheme of Examination for BDS Course shall be divided into 1st BDS examination at the end of the first academic year, 2nd BDS examination at the end of second year, 3rd BDS examination at the end of third, 4th and final BDS at the end of 4th year. Where semester system exists, there shall be two examinations in the final year, designated as part 1 and part 2 of the respective examinations (regulations 1983). 240 days minimum teaching in each academic year is mandatory.

For University opting for semester mode, the subjects that are to be covered in each semester proposed below.

Part-I

- Public Health Dentistry
- Periodontology
- Orthodontics and Dentofacial Orthopaetic
- Oral Medicine and Radiology

Part -II

- Oral & Maxillofacial Surgery
- Conservative and Endodontics
- Prosthodontics and Crown & Bridge
- Paediatric and Preventive Dentistry

At page No. 6, V BDS examination will be deleted.

- (iv) The minimum working Hours for Each subject of study (BDS Course) substituted for the existing as indicated at page No. 16 of the existing Principal Regulations as under:-

Subjects	Lecture Hours	Practical Hours	Clinical Hours	Total Hours
General Human Anatomy Including Embryology, Osteology and Histology.	100	175		275
General Human Physiology	120	60		180
Biochemistry	70	60		130
Dental Materials	80	240		320
Dental Anatomy Embryology, and Oral Histology	105	250		355
Dental Pharmacology & Therapeutics	70	20		90
General Pathology	55	55		110
Microbiology	65	50		115
General Medicine	60		9	150
General Surgery	60		90	150
Oral Pathology & Microbiology	145	130		275
Oral Medicine & Radiology	65		170	235
Paediatric & Preventive Dentistry	65		170	235
Orthodontics & dental orthopaedics	50		170	220
Periodontology	80		170	250
Oral & Maxillofacial Surgery	70		270	340
Conservative Dentistry & Endodontics	135	200	370	705
Prosthodontics & Crown & Bridge	135	300	370	805
Public Health Dentistry including Lectures on Tobacco Control & Habit Cessation	60		200	260
Total	1590	1540	1989	5200

Note:

There should be a minimum of 240 teaching days each academic year consisting of 8 working hours, including one hour of lunch break.

Internship - 240X8 hours-1920 clinical hours

- (v) The following teaching/clinical hours for the existing 4th year BDS Course indicated at Page No. 17 of the existing Principal Regulations, 2007 be substituted as under:-

Subject	Lecture Hours	Practical Hours	Clinical Hours	Total Hours
Prosthodontics	80		300	380
Oral medicine	45		100	145
Periodontics	50		100	150
Public Health	60		200	260
Conservative Dentistry	80		300	380
Oral Surgery	50		200	250
Orthodontics	30		100	130
Pedodontics	45		100	145
Total	440		1400	1840

Provided that nothing contained in the provision of this regulations or statute or rules, regulations or guidelines or notifications of the concerned university, or any other law for the time being in force shall prevent any student pursuing his/her 4th year BDS Course who fails in any one or more subjects of 1st semester will carry over those subjects to the 2nd Semester and will appear in those subjects together with the subjects of the 2nd semester. A pass in all the eight subjects is mandatory for completion of the 4th BDS course before undergoing internship programme.

- (vi) **To be substituted only for—Punjab and Andhra Pradesh:-**
Only 2007 batch (Punjab & Andhra Pradesh) will have to follow the existing 5th year only Programme.
Thereafter this 3rd amendment will be applicable.
Provided the concerned University follows the proposed amendment.
- (vii) **Under the Footnote page No. 17, the following be deleted:-**
1. Under Note No. 3, at the end, the following be deleted:-
" & 5th year".
 2. Under Note No. 4, at the end, the following be deleted:-
" & 5th year".
 3. Under Note No. 5, at the end, the following be deleted:-
"and 5th year".
 4. Note No. 6 be deleted.
 5. Note No. 7 be deleted.
- (viii) **The Teaching Hours as prescribed for "V BDS" Course at Page No. 17 in the existing BDS course Regulations, 2007, be deleted.**

It is the prerogative of the Dental Council of India to conduct inspections, at any of the colleges, at any time during the calendar year for inspecting whether the colleges are following the internship norms as laid down by DCI.

Col. (Retd). Dr. S.K. OJHA, Offg. Secy.
[ADVT. III/4/98/11/(P.O.)/Exty.]

Foot-notes :

1. The Principal Regulations, namely, Dental Council of India Revised BDS Course Regulations 2007 published in Part III, Section 4, of the Gazette of India, Extraordinary, on 10.9.2007.
2. 1st Amendment to the Principal Regulations, published in Part III, Section 4, of the Gazette of India, Extraordinary, on 11.1.2008.
3. 2nd Amendment to the Principal Regulations, published in Part III, Section 4, of the Gazette of India, Extraordinary, on 29.10.2010.

Annexure-A

DENTAL COUNCIL OF INDIA
Revised Internship Programme, 2011

CURRICULUM OF DENTAL INTERNSHIP PROGRAMME.

1. The duration of Internship shall be one year.
 2. All parts of internship shall be done in a Dental College duly recognized/approved by the Dental Council of India for the purpose of imparting education and training to Dental graduates in the country.
 3. The Interness shall be paid stipendiary allowance during the period of an internship not extending beyond a period of one year.
 4. The internship shall be compulsory and rotating as per the regulations prescribed for the purpose.
 5. The degree- BDS shall be granted after completion of internship.
- Determinants of Curriculum for internship for Dental Graduates:**
The curricular contents of internship training shall be based on.
- i) Dental health needs of the society.
 - ii) Financial, material and manpower resources available for the purpose.
 - iii) National Dental Health Policy.
 - iv) Socio-economic conditions of the people in general.
 - v) Existing Dental as also the primary health care concept, for the delivery of health services.
 - vi) Task analysis of what graduates in Dentistry in various practice settings, private and government service actually perform.
 - vii) Epidemiological studies conducted to find out prevalence of different dental health problems, taking into consideration the magnitude of dental problems, severity of dental problems and social disruption caused by these problems.

Objectives:

- A. To facilitate reinforcement of learning and acquisition of additional knowledge:-
- Reinforcement of knowledge.
 - Techniques & resources available to the individual and the community; Social and cultural setting.
 - Training in a phased manner, from a shared to a full responsibility.
- B. To facilitate the achievement of basic skills: attaining competence Vs. maintaining competence in:-
- History taking.
 - Clinical Examination.
 - Performance and interpretation of essential laboratory data.
 - Data analysis and inference.
 - Communication skills aimed at imparting hope and optimism in the patient.
 - Attributes for developing working relationship in the Clinical setting and Community team work.
- C. To facilitate development of sound attitudes and habits:-
- Emphasis on individual and human beings, and not on disease/symptoms.
 - Provision of comprehensive care, rather than fragmentary treatment.
 - Continuing Dental Education and Learning of accepting the responsibility.
- D. To facilitate understanding of professional and ethical principles:-
- Right and dignity of patients.
 - Consultation with other professionals and referral to seniors/institutions.
 - Obligations to peers, colleagues, patients, families and Community.
 - Provision of free professional services in an emergent situation.
- E. To initiate individual and group action, leading to disease prevention and dental health promotion, at the level of individuals families and the community.

Content (subject matter)

The compulsory rotating paid Dental Internship shall include training in Oral Medicine & Radiology; Oral & Maxillofacial Surgery; Prosthodontics; Periodontics; Conservative Dentistry; Pedodontics; Oral Pathology & Microbiology; Orthodontics and Community Dentistry.

General Guidelines:

- It shall be task-oriented training. The interns should participate in various institutional and field programmes and be given due responsibility to perform the activities in all departments of the Dental Colleges and associated Institutions.
- To facilitate achievement of basic skills and attitudes the following facilities should be provided to all dental graduates:
 - History taking, examination, diagnosis, charting and recording treatment plan of cases.
 - Presentation of cases in a group of Seminar.
 - Care and sterilization of instruments used.
 - Performance and interpretation of essential laboratory tests and other relevant investigations.
 - Data analysis and inference.
 - Proper use of antibiotics, anti-inflammatory and other drugs, as well as other therapeutic modalities.
 - Education of patients, their relatives and community on all aspects of dental health care while working in the institution as also in the field.
 - Communication aimed at inspiring hope, confidence and optimism.
 - Legal rights of patients and obligations of dental graduate under forensic jurisprudence.

1.	Oral Medicine & Radiology:	
	1. Standardized examination of patients	25 Cases
	2. Exposure to clinical, pathological laboratory procedures and biopsies.	5 Cases
	3. Effective training in taking of Radiographs: (Intra-oral) I.O. (Extra oral) E.O. Cephalogram	2 Full mouth 1 1
	4. Effective management of cases in wards-	2 Cases
2.	Oral and Maxillofacial surgery	
A.	The Interns during their posting in oral surgery shall perform the following procedures:	
	1. Extractions	50
	2. Surgical extractions	2
	3. Impactions	2
	4. Simple Intra Maxillary Fixation	1
	5. Cysts enucleations	1
	6. Incision and drainage	2
	7. Alveoplasties, Biopsies & Frenectomies, etc.	3

3243 GI/11-4

B. The Interness shall perform the following on Cancer Patients:

1. Maintain filework.
2. Do extractions for radiotherapy cases.
3. Perform biopsies.
4. Observe varied cases of oral cancers.

C. The interness shall have 15 days posting in emergency services of a dental/general hospital with extended responsibilities in emergency dental care in the wards. During this period they shall attend to all emergencies under the direct supervision of oral surgeon during any operation:

1. Emergencies.
(i) Toothache; (ii) trigeminal neuralgia; (iii) Bleeding from mouth due to trauma, post extraction, bleeding disorder or haemophilia; (iv) Airway obstruction due to fracture mandible and maxilla; dislocation of mandible; syncope or vasovagal attacks; Ludwig's angina; tooth fracture; post intermaxillary fixation after general Anaesthesia.
2. Work in I.C.U. with particular reference to resuscitation procedures.
3. Conduct tutorials on medico-legal aspects including reporting on actual cases coming to casualty. They should have visits to law courts.

3. **Prosthodontics**

The dental graduates during their internship posting in Prosthodontics shall make:-

1. Complete denture (upper & lower) 2
2. Removable Partial Denture 4
3. Fixed Partial Denture 1
4. Planned cast partial denture 1
5. Miscellaneous-like relines/overdenture/repairs of Maxillofacial Prosthesis 1
6. Learning use of Face bow and Semi anatomic articulator technique
7. Crowns
8. Introduction of Implants

4. **Periodontics**

A. The dental graduates shall perform the following procedures

1. Prophylaxis 15 Cases
2. Flap Operation 2 Cases
3. Root Planning 1 Case
4. Curretage 1 Case
5. Gingivectomy 1 Case
6. Perio-Endo cases 1 Case

B. During their one week posting in the community health centers, the interness shall educate the public in prevention of Periodontal diseases.

5. **Conservative Dentistry**

To facilitate reinforcement of learning and achievement of basic skills, the interns shall perform atleast the following procedures independently or under the guidance of supervisors:

1. Restoration of extensively mutilated teeth 5 Cases
2. Inlay and onlay preparations 1 Case
3. Use of tooth coloured restorative materials 4 Cases
4. Treatment of discoloured vital and non-vital teeth 1 Case
5. Management of dento alveolar fracture 1 Case
6. Management of pulpless, single-rooted teeth without periapical lesion. 4 Case
7. Management of acute dento alveolar infections 2 Cases
8. Management of pulpless, single-rooted teeth with peripheral lesion period 1 Case
9. Non-surgical management of traumatised teeth during formative period.

6. **Pedodontics and Preventive Dentistry**

During their posting in Pedodontics the Dental graduates shall perform:

1. Topical application of fluorides including varnish 5 Cases
2. Restorative procedures of carious deciduous teeth in children. 10 Cases
3. Pulpotomy 2 Cases
4. Pulpectomy 2 Cases
5. Fabrication and insertion of space maintainers 1 Case
6. Oral habits breaking appliances 1 Case

7. **Oral pathology and microbiology**

The interness shall perform the following:

- | | | |
|----|--------------------------------------------|---------|
| 1. | History-recording and clinical examination | 5 Cases |
| 2. | Blood, Urine and Sputum examination | 5 Cases |
| 3. | Exfoliative Cytology and smears study | 2 Cases |
| 4. | Biopsy- Laboratory Procedure & reporting | 1 Case |

8. **Orthodontics**

A. The interness shall observe the following procedures during their posting in Orthodontics:

1. Detailed diagnostic procedures for 5 patients
2. Laboratory techniques including wire-bending for removable appliances, soldering and processing of myo-functional appliances.
3. Treatment of plan options and decisions.
4. Making of bands, bonding procedures and wire insertions.
5. Use of extra oral anchorage and observation of force values.
6. Retainers.
7. Observe handling of patients with oral habits causing malocclusions.

The dental graduates shall do the following laboratory work:-

- | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. | Wire bending for removable appliances and space maintainers including welding and heat treatment procedure. | |
| 2. | Soldering exercises, banding & bonding procedures | 5 Cases |
| 3. | Cold-cure and heat-cure acrylisation of simple Orthodontics appliances | 2 Cases |
| | | 5 Cases |

9. **Public Health Dentistry**

1. The interness shall conduct health education sessions for individuals and groups on oral health public health nutrition, behavioral sciences, environmental health, preventive dentistry and epidemiology.
2. They shall conduct a short term epidemiological survey in the community, or in the alternate, participate in the planning and methodology.
3. They shall arrange effective demonstrations of:
 - a) Preventive and interceptive producers for prevalent dental diseases.
 - b) Mouth-rinsing and other oral hygiene demonstrations
 - c) Tooth brushing techniques
4. Conduction of oral health education programmes at
 - A) School setting
 - B) Community setting
 - C) Adult education programmes
5. Preparation of Health Education materials
6. Exposure to team concept and National Health Care systems:
 - a) Observation of functioning of health infrastructure.
 - b) Observation of functioning of health care team including multipurpose workers male and female, health educators and other workers.
 - c) Observation of atleast one National Health Programme:-
 - d) Observation of interlinkages of delivery of oral health care with Primary Health care. Mobile dental clinics, as and when available, should be provided for this teachings.

10. **Elective Posting**

The interness shall be posted for 15 days in any of the dental departments of their choice mentioned in the foregoing.

Organisation of content:

The Curriculum during the 4 years of BDS training is subject based with more emphasis on learning practical skills. During one year internship the emphasis will be on competency-based, community oriented training. The practical skills to be mastered by the interness along with the minimum performance level are given under the course content of different departments of Dental Education. The supervisors should seeing it that proper facilities are provided in all departments and attached institutions for their performance.

Specification of teaching activities:

Didactic lectures are delivered during the four years training in BDS. These shall be voided during the internship programme. Emphasis shall be on chair-side teaching, small group teaching and discussions tutorials, seminars, ward posting, laboratory posting, field visits and self learning.

Use of Resource Materials:

Overhead projectors, slide projectors, film projectors charts diagrams, photographs, posters, specimens, models and other audiovisual aids shall be provided in all the Dental Colleges and attached institutions and field area. If possible, television, video and tapes showing different procedures and techniques to be mastered by the interns should be provided.

Evaluation

1. **Formative Evaluation:**

Day-to-day assessment of the interns during their internship posting should be done. The objective is that all the interns must acquire necessary minimum skills required for carrying out day-to-day professional work competently. This can be achieved by maintaining records and performance data book by all interns. This will not only provide a demonstrable evidence of the processes of training but more importantly, of the interns own acquisition of competencies as related to performance. It shall form a part of formative evaluation and shall also constitute a component of final grading of interns.

2. **Summative Evaluation:**

It shall be based on the observation of the supervisors of different departments and the records and performance data book maintained by the interns. Grading shall be done accordingly.

11. **Rural Services**

In the rural services, the student will have to participate in-

1. Community Health Monitoring programmes and services which include Preventive, Diagnostic and corrective procedures
2. To create educational awareness about dental hygiene and diseases.
3. Conduction of Oral Health Education Programme at -
 - (a) School Setting - 5
 - (b) community Setting - 5
 - (c) Adult Education Programme - 5
4. compulsory setup of satellite clinics in remote areas - 1
5. Lectures to create awareness and education in public forums about the harmful effects of tobacco consumption and the predisposition to oral cancer - two Lecturers per student.

Period of Postings

1.	Oral Medicine & Radiology	-	1 month
2.	Oral & Maxillofacial Surgery	-	1 ½ months
3.	Prosthodontics	-	1 ½ months
4.	Periodontics	-	1 month
5.	Conservative Dentistry	-	1 month
6.	Pedodontics	-	1 month
7.	Oral Pathology & Microbiology	-	15 days
8.	Orthodontics	-	1 month
9.	Community Dentistry /Rural Services	-	3 months
10.	Elective	-	15 days